

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(85)वित्त-1(1)आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : 05.02.2019

स्वीकृति संख्या:-675/2018-19

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 3900.93 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/वि.के.स./प्रस्ताव/2018-19 स्वीकृति सं. 49/2018-19 दिनांक 16.01.2019 राशि रु. 400.00 लाख, स्वीकृति सं. 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 राशि रु. 1200.93 लाख, स्वीकृति सं. 51/2018-19 दिनांक 16.01.2019 राशि रु. 500.00 लाख, स्वीकृति संख्या 52/2018-19 दिनांक 16.01.2019 राशि रु. 200.00 लाख, स्वीकृति संख्या 53/2018-19 राशि 1500.00 लाख एवं स्वीकृति संख्या 59/2018-19 राशि रु. 100.00 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये 3900.93 लाख (अक्षरे रुपये उनतालीस करोड़ तरानवें हजार) मात्र निम्नांकित बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30


- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
- 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (09) - उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (विकेस)
- [01] - जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये 1200.93 लाख
- [02] - नहरों का सुदृढीकरण
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये 500.00 लाख
- [03] - जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये 400.00 लाख
- (24) - जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (विकेस)
- 01 - जनजाति बस्तियों को सेवाओं से जोड़ना
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये 200.00 लाख
- [03] - विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कुओं को गहरा कराने हेतु सहायता
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये 1500.00 लाख
- [04] - विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कृषि उपज मण्डियों का निर्माण एवं विस्तार हेतु सहायता
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये 100.00 लाख

योग- राशि रुपये 3900.93 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रामदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की

पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,




(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)